प्रेसनोट

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत दुखःहरण नाथ मंदिर व पृथ्वीनाथ मंदिर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। पर्व को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने, मन्दिरों व जूलूसो की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

आज दिनांक 07.03.2024 को पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत दुखःहरण नाथ मन्दिर थाना कोतवाली नगर व पृथ्वीनाथ मन्दिर थाना खरगूपुर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराने तथा मन्दिरों व जूलूसो की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत महोदय द्वारा बताया गया की जनपद के सभी शिवालयों का अधिकारीगण द्वारा आज ही भ्रमण कर स्थितियों का जायजा ले लें तथा स्वयं के स्तर पर समीक्षा कर लें। समस्त राजपत्रित अधिकारीगण सभी धर्मगुरूओं, आयोजको, शान्ति समीतियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग कर ले। सभी संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी रखी जाये। दुखहरण नाथ व पृथ्वीनाथ मन्दिर सहित जनपद के सभी शिवालयों में शिवरात्रि मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मंदिर पर भीड़ भाड़ रहेगी महाशिवरात्रि मेले में नदी/घाटों से दर्शनारार्थी जल लेकर जाएगें, नदी/घाटों पर बैरिकेटिंग तथा गोताखोर की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए । जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना/चौकी प्रभारियों, बीट कर्मियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहने हेतु निर्देशित किया गया । गैर परम्परागत आयोजन की अनुमति न दी जाये , तथा पूर्व से निर्धारित रास्ते से ही पर्याप्त पुलिस बल के साथ जूलूस निकाली जाये। सभी शिवालयों पर वर्दी व शादे वस्त्र में महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाये। मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों में QRT के साथ पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जाये । महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर कॉवड़ मार्गों पर उचित दूरी पर पुलिस पिकेट/गस्त, फुट पेट्रोलिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा यूपी 112 के वाहनों को भी आवश्यकतानुसार रूट चार्ट बना कर व्यवस्थापन करा लिया जाये। वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण करते हुए ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था समय से पूर्ण कराते हुए तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। पीए सिस्टम की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाये तथा कांवड़ के मार्गों व धार्मिक स्थलों के आस-पास पोस्टर पार्टी को सकिय रखा जाये। स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को सामयिक सूचना के प्रति और अधिक सतर्क कर दिया जाये तथा प्रत्येक छोटी सी छोटी सूचना को गम्भीरता से लेते हुये तत्परतापूर्वक यथोचित विधिक कार्यवाही की जाये। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों की मानिटरिंग की जाये तथा सतर्क दृष्टि रखी जाये। भ्रामक / आपत्तिजनक पोस्ट एवं अफवाहों का तत्काल संज्ञान लेते हुये वैधानिक कार्यवाही की जाये तथा अफवाहों का खण्डन किया जाये।

मीडिया सेल गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 07.03.2024, मॉनीटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष के कठोर कारावास व रूपये 11,500/- अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी आदर्श कुमार पाण्डेय उर्फ नन्दलाल पुत्र चिंतामणि पाण्डेय निवासी ग्राम अशरफाबाद रामनगर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को 03 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 11,500/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में अभियुक्त 01. आदर्श कुमार पाण्डेय उर्फ नन्दलाल पुत्र चिंतामणि पाण्डेय निवासी ग्राम अशरफाबाद रामनगर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवली मनकापुर के पैरोकार हेड का0 मधुसूदन गौड़, कोर्ट मोहर्रिर का0 सौरभ प्रताप सिंह के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वारा अभियुक्त आदर्श कुमार पाण्डेय उर्फ नन्दलाल को 03 वर्ष की कठोर कारावास व 11,500/-रूपये की अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. आदर्श कुमार पाण्डेय उर्फ नन्दलाल पुत्र चिंतामणि पाण्डेय निवासी ग्राम अशरफाबाद रामनगर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-732/2020, धारा 323,354, 504, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 07.03.2024, थाना कोतवाली देहात
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 63/2024, धारा 363, 366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. अनुज को थाना कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा सोनबरसा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा थाना को0देहात पर सूचना दिया कि मेरी नाबालिक लड़की को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0- 63/2024, धारा 363, 366 भादवि बनाम अनुज के विरूद्ध सुसंगत अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 07.03.2024 को थाना को0देहात की पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत वांछित अभियुक्त 01. अनुज पुत्र त्रिभुवन निवासी धन्नी मिश्र पुरवा मौजा जहदरिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा सोनबरसा चौराहे के पास थाना कोतवाली नगर से गिरफ्तार कर लिया गया। पीडिंता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4पास्को एक्ट की बढोत्तरी किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. अनुज पुत्र त्रिभुवन निवासी धन्नी मिश्र पुरवा मौजा जहदरिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 63/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 पवन कुमार सिंह
02. हे0का0 हरिशंकर यादव
03. म0हे0का0 नीरज सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 07.03.2024, थाना कोतवाली देहात
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 64/2024, धारा 363, 504 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. ओमप्रकाश उर्फ ध्रुवराज को थाना कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा अल्फा पेट्रोल पम्प के पास ग्राम बालपुर जाट से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना को0देहात पर सूचना दिया कि मेरी नाबालिक लड़की को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0- 64/2024, धारा 363, 504 भादवि बनाम ओमप्रकाश उर्फ ध्रुवराज के विरूद्ध सुसंगत अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 07.03.2024 को थाना को0देहात की पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत वांछित अभियुक्त 01. ओम प्रकाश उर्फ ध्रुवराज पुत्र सहजराम निवासी महन्त पड़री थाना कोतवाली देहात गोण्डा को थाना कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा अल्फा पेट्रोल पम्प के पास ग्राम बालपुर जाट के पास थाना कोतवाली देहात से गिरफ्तार कर लिया गया। पीडिंता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 366, 376 भादवि व 3/4पास्को एक्ट की बढोत्तरी किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. ओम प्रकाश उर्फ ध्रुवराज पुत्र सहजराम निवासी महन्त पड़री थाना कोतवाली देहात गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 64/2024, धारा 363, 366, 376, 504 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 विजय कुमार शर्मा
02. हे0का0 शौकत अली
03. का0 रामदास राठौर
04. म0का0 अभिलाषा सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।